छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर

क्रमॉक/1011 /डी. एल. एड मान्यता/2025 रायपुर, दिनाँक 30/07/2025

प्रति

प्राचार्य,
संदीपनी एकेडमी
अछोटी
जिला दुर्ग (छ. ग.)

विषय : शैक्षणिक सत्र 2025-26 सम्बद्धता (AFFILIATION) प्रमाण पत्र बाबत् ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 डी. एल. एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा हेतु सशर्त सम्बद्धता (AFFILIATION) प्रदान करते हुये मूल प्रमाण पत्र आपकी ओर भेजा जा रहा हैं ।

सत्र 2026-27 का सम्बद्धता (AFFILIATION) शुल्क 10,000/– रूपये एवं मान्यता फार्म शुल्क 500/– रूपये कुल राशि 10,500/– रूपये निर्धारित तिथि 31 दिसंबर 2025 एवं विलंब शुल्क 10,000/– रूपये सहित माह फरवरी 2026 तक जमा करना अनिवार्य होगा ।

निर्धारित तिथि तक सम्बद्धता (AFFILIATION) शुल्क मण्डल मुख्यालय, रायपुर में जमा न करने की दशा पर आपका ऑनलाईन पोर्टल बंद कर दिया जावेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था/संस्था प्रमुख का होगा ।

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

25/7/25

सहायक सचिव
छ. ग. मा. शि. मण्डल, रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/1012/डी. एल. एड. मान्यता/20 रायपुर दिनांक 30/07/2025

प्रतिलिपि:

1. संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जी – 7, सेक्टर – 10 द्वारका नई दिल्ली 110075 की ओर सूचनार्थ ।
2. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, शंकर नगर, रायपुर की छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।

25/7/25

सहायक सचिव
छ. ग. मा. शि. मण्डल, रायपुर

संस्था कोड 3034

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

सम्बद्धता मान्यता प्रमाण - पत्र सशर्त

डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन
(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 8(च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्मित मान्यता विनियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एतद् द्वारा शाला संदीपनी एकेडेमी अछोटी जिला दुर्ग को डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (द्वितीय पाठ्यक्रम) के लिए हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन हेतु नीचे दी गई निम्न सामान्य शर्तों पर 2025 से 2026 की अवधि के लिए मान्यता / सम्बद्धता प्रदान करता है -

- संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं मान्यता विनियम 1994 (परिशिष्ट क के रुप में संलग्न) के सभी प्रावधानों का पूर्णरुपेण (In letter and sprit) पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का भी संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधनों का पालन न किये जाने की स्थिति में छ.ग. मा.शि. मण्डल रायपुर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, की धारा 6 (च च च) के प्रावधानों के अंतर्गत यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
- संस्था द्वारा एन सी टी ई एवं एस सी ई आर टी रायपुर के द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- शाला / स्कूल / संस्था का निरीक्षण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी / निरीक्षण दल द्वारा किया जा सकेगा।
- शहरी क्षेत्र (नगर निगम / नगर पालिका) में कम्प्यूटर शिक्षा की अध्यापन व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा उसके मान से उपकरण तथा पृथक कमरे होना आवश्यक है। कम्प्यूटरों की संख्या प्रति तीन विद्यार्थी पर न्यूनतम एक होना अनिवार्य है।
- शाला में नियमित रुप से अध्ययनरत छात्रों के लिए एक शैक्षणिक पर्यावरण निर्मित किया जावेगा जिससे न केवल छात्रों का शैक्षिक स्तर उन्नत होगा बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी संपूर्ण विकास होगा। यह अनिवार्य होगा कि शाला में अध्ययनरत छात्रों का औसत परीक्षाफल कम से कम मण्डल के औसत परीक्षाफल के समकक्ष हो अन्यथा शाला की मान्यता समाप्त की जा सकेगी तथा आगामी तीन वर्षो के लिए मान्यता पर विचार नहीं किया जावेगा।
- संस्था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में यथासमय निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर में / संभागीय कार्यालय, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव में प्रस्तुत करेगी।

  अ. संस्था किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी समय अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था को ऐसी परीक्षाओं के लिए न तो तैयार करेगी और न ही भेजेगी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के समान स्वरुप और स्तर की हो।
- संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सृजनात्मक विकास, मनोरंजन और खेलकूद के विकास के लिए भी समुचित व्यवस्था करेगी।

  (क) वर्ष में एक बार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

  (ख) शैक्षणेत्तर गतिविधियां समय-समय पर शाला द्वारा संचालित की जावेगी।
- विद्यालयीन शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में संस्था के शिक्षकों को निर्देशानुसार यथा समय नामांकित कर प्रशिक्षण हेतु भेजना अनिवार्य होगा।
- शाला के छात्र यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामूहिक नकल में / अनुचित साधनों के प्रयोग मे लिप्त पाये जाते हैं तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा शाला की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा शाला आगामी तीन वर्षो तक मण्डल की परीक्षाओं हेतु मान्यता प्राप्ति हेतु अपात्र रहेगी।
- माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 161 / 2002 में हुए निर्णयानुसार संस्था के छात्रों को पॉलीथिन बेग एवं उससे बनी हुई सामग्री के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी अनिवार्यतः दी जावे।
- प्राचार्य इस प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करेंगे।

विशेष सूचना - यह मान्यता केवल उपरोक्त अवधि 2025 से 2026 के लिए प्रभावशाली है। आगामी वर्षों के लिए यथासमय आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में तथा पृथक प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही उस अवधि के लिए संस्था डी.एल.एड. परीक्षा की मान्यता प्राप्त मानी जावेगी, अन्यथा नहीं।

सहायक [illegible]
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल
रायपुर, छत्तीसगढ़

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर